SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): * *

MR. SPEAKER: Nothing will go on record. So many people getting up. Please do not speak when you are not called.... (*Interruptions*). I am not here to give my explanations. I am calling Mr. Bhogendra Jha. It is my discretion to admit or not—whether it is one member or five members. It is my discretion. Please sit down. (*Interruptions*).

मैं आपसे कहूं कि आप पार्लमेन्ट को पार्लमेन्ट समझे । इसमे मजबूत से मजबूत दलील भी बड़े अमन और शान्ति से दी जा सकती है । अगर आप यह समझे कि रोज का काम है हम शोर करते हैं, बाते आती है तो मे आपको देखता रहा हू, कुछ न कुछ जरूर करना पड़ेगा । इसको पार्लमेन्ट बनाना चाहिए और आपको भी पता होना चाहिए कि यह पार्लमेन्ट है । ..... (*व्यवधान*) ..... यह आखिरी दिन है इसलिये मे कुछ नही कह रहा हू । ..... (*व्यवधान*) .....

श्री भोगेन्द्र झा ।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: ...**

SHRI JYOTIRMOY BOSU: To-day is the last day... (*Interruptions*) It is done in every session ..**

MR. SPEAKER: It will not go on record. ...(*Interruptions*) Order, please. When they asked, I said there were a few members' motions. They said that they also should be admitted in one Member's name. If I accept them, I do not use my discretion.

SHRI S. A. SHAMIM (Srinagar): For once we are in agreement with you.

SHRI BHOGENDRA JHA (Jainagar): You are admitting a subject, not on the basis of individuals. There are a few Members in this House who simply with an eye on the newspapers want to blackmail .(*Interruptions*)

12.04 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

DELAY IN APPROVING LAND CEILING LEGISLATIONS OF BIHAR, ANDHRA PRADESH, MAHARASHTRA AND OTHER STATES

श्री भ गेन्द्र झा (जयनगर) : अध्यक्ष महोदय, में अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर कृषि मत्री का ध्यान दिलाता हू और प्रार्थना करता हू कि वे इस बारे मे एक वक्तव्य दे :

"बिहार, आन्ध्र प्रदेश महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यो के भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने सम्बन्धी कानूनो को स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब ।"

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI F. A. AHMED): The Chief Minister's Conference held on July 23, 1972 made certain recommendations on the ceiling on agricultural holdings and the Government of India formulated a set of guidelines in the light of these recommendations. These were communicated to the State Governments who were requested to amend their existing ceiling laws or introduce fresh legislation, as the case may be in conformity with the national guidelines. Revised ceiling laws passed by the State Legislatures of Andhra Pradesh, Bihar, Haryana and Maharashtra were referred to the Government of India for the accordance of President's assent to them.

**Not recorded.

[Shri F. A. Ahmed]

These legislations have been examined by the concerned Ministries of the Govt. of India in consultation with the officials of these State Governments. As the laws referred to above did not strictly conform to the norms given in the national guidelines, discussions were held and assurances have been solicited from the State Governments for incorporation of the revisions necessary to bring their legislation in conformity with the national guidelines.

The Bihar Bill has been discussed with the State Government and all points have been resolved and it is expected that the Government of India would be in a position to communicate the accordance of President's assent to the Bihar Bill shortly.

All the required formalities for according President's assent to the Haryana Bill have been completed and President's assent is expected to be accorded to the Bill in a day or two.

The Maharashtra Bill which had been passed by the Legislature before the issue of the national guidelines, was discussed with the representatives of the Maharashtra Government from whom further communication is awaited.

The Andhra Pradesh Bill is in advanced stage of examination and it is expected that President's assent will be accorded soon.

The Government of India as well as the concerned State Governments have been fully alert to the need for enacting ceiling legislations at the earliest possible opportunity. Land Reforms, and specifically land ceiling, are highly complex issues. Apart from the State Governments which have been directly responsible for the enactment of legislation consonant with the national guidelines, the Government of India in its various Ministries and Departments have to examine the various implications of the provisions of land ceiling so that the law that emerges is consistent with the national policy on land reforms and fits in within the overall framework of our development strategy. I would also take this opportunity to call upon those State Governments who have not yet been able to make legislation on ceiling to take all possible measures for early completion of the task. I have also every hope that energetic and meaningful steps will be taken by all the State Govenments for the most expeditious and effective implementation of the laws that are being enacted now.

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, यह भूमि की हदबन्दी और इस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान करने की कहानी बहुत ही दुःखद कहानी है। एक तरफ तो हदबन्दी निर्धारित करने में केन्द्रीय सरकार की समिति अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का पैनल, उसके बाद फिर 2 व्यक्तियों का पैनल जिनमें 4 कैबिनेट मिनिस्टर, तीन मुख्य मंत्री और दो राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनका पैनल और उस सब के बाद विलम्ब करते करते जमींदारों के, बड़े बड़े भूस्वामियों के हित में आखिर में कुछ ऐसे संशोधन किये गये जिससे भूमि हदबन्दी का बहुत हद तक भीतर घात हो जाता है। और उस सब के बाद केन्द्रीय कृषि मंत्रालय की कहानी है कि अगर कोई विधेयक इन सभी बाधाओं को पार करके केन्द्र में आता भी है तो केन्द्रीय सरकार यह कहेगी कि 6, 8 महीने, साल, डेढ़ साल और दो, दो साल तक विलम्ब लगा देते हैं। बिहार में टाटा जमींदारों के उन्मूलन के सवाल पर यह हाल हुआ था। दो साल के विलम्ब के बाद तब उसकी स्वीकृति दी गई। अभी भी जो बिहार की हदबन्दी का कानून है, आंध्र का

हदबन्दी का कानन है उसमें एक साल होने जा रहा है । इस तरह से उसमें विलम्ब किया जा रहा है । इस सब का एक ही उद्देश्य होता है कि देरी करके जो बड़े बड़ भूस्वामी हैं वह अपनी ज़मीनों का आवंटन कर दें । उनके पास कोई फाज़िल ज़मीन हीं न रहे जो कि बाद में बतौर फालतू जमीन होने के उन से ली जा सके या उसका बंटवारा किया जा सके ।

अध्यक्ष महोदय, में चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इसकी ओर देखे और लोक सभा में इस बात का आश्वासन दे कि जो भी इनके यहां अभी जो भूमि हदबन्दी कानून पड़े हुए हैं उन्हें क्लारैन्स दे देगी । असम के बारे में भी हदबन्दी कानून के बारे में क्वारी ओनर्स के बारे में क्या रहेगा और इसके बारे में यहां विलम्ब किया जा रहा है । बिहार के बारे में एक ऐसी मामूली बात पर विलम्ब किया जा रहा है जिसे स्वीकृति देकर भी बाद में उसे संशोधित किया जा सकता है । अगर केन्द्रीय सरकार उसमें अड़ी रहे तो विलम्ब करने से यह नुकसान हो रहा है जिससे कि भूमि हदबन्दी कानून भूमिहीनों के लिए निरर्थक साबित होता चला जा रहा है । हम सभी जानते हैं कि जो पहले यहां केन्द्रीय लैंड रिफार्म्स कमेटी नियुक्त की गई थी उसने सभी पहलुओं से विचार करके भूमि हदबन्दी कुछ सुझाव दिये हैं । में उन सभी सुझावों से सहमत नहीं हूं फिर भी अगर वह उन सुझावों को लागू करते होते तो कुछ हद तक उद्देश्य की पूर्ति हो सकती थी मगर वह नहीं किया गया । उसके बाद फिर जो नौ व्यक्तियों की कमेटी बनी उस में हमारे कृषि मंत्री फखरुद्दीन अली अहमद थे, श्री सुब्रह्मण्यमन थे, श्री मोहनकुमालरमंगल, श्री एन० आर० गोखले थे । इनके अलावा मुख्य मंत्री श्री बरक़तउल्ला, देवराज उर्स थे । उसके अलावा दो कांग्रेस अध्यक्ष थे । राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी और श्री के० करुणाकरण, इन सब ने अपने प्रतिवेदन में इस बात पर ज़ोर दिया है :

> "We are of the view that ceiling is best applied to the family of five as a unit, consisting of the husband, wife and three children, whether minor or major. In making this suggestion, we already agree with the suggestion of the working group of the National Commission of Agriculture that to the extent that the actual number of members in a family is less than five, the ceiling should be reduced by fifth person.".

इन नौ व्यक्तियों की समिति ने बालिग़ और नाबलिग़ का फर्क नहीं किया और उस में पूरा तर्क दिया है कि 6 महीने के बाद कोई बालिग़ हो जायेगा तो 6 महीने के बाद या एक साल के चलते कोई नाबालिग़ है तो फिर बालिग से नाबालिग़ में परिवर्तन करने में कोई अधिक विलम्ब नहीं लगता है । ऐसी परिस्थिति में उस का भी उल्लंघन किया जा रहा है और इससे राज्य सरकारों ने यह मतलब लगाया है कि केन्द्रीय सरकार वोट के समय में जो मेहनतकश में किसान हैं उनके मत, वोट लेने के लिए कुछ नारा दे देती है लेकिन यह असल में भूस्वामियों का पक्षपात करना चाहती है । इसीलिए अब

[श्री भोगेंद्र झा]

हम देख रहे हैं कि मध्यप्रदेश की सरकार ने जो भूमि हदबन्दी कानून पारित किया था केन्द्रीय सरकार के पास इस तरह के विलम्ब के बाद तो फिर क्या कहा यह कृषि मन्त्री हमसे ज्यादा जानते हैं। उस के बाद अभी मध्यप्रदेश में जो भूमि हदबन्दी कानून पारित किया है वह पूरे तरीके से जमींदारी के पक्ष में है जिसका कि पारित होना न होना बराबर हो जाता है। उत्तर प्रदेश में भी करीब करीब यही किया जा रहा है। महाराष्ट्र में यही सब हो चुका है। अध्यक्ष महोदय मैं यह जानना चाह रहा हूं कि क्या यह विलम्ब करने की नीति अपना कर केन्द्रीय सरकार इस तरह से भीतरघात कर रही है। उन बातों का जिन पर चुनाव लड़ा गया जिन सवालों के ऊपर सारे देश के लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर अपना मतदान किया कि देश के हित में भूमि की हदबन्दी हो अतिरिक्त भूमि का बटवारा हो क्या वह केवल वोट हासिल करने के लिए ही थी?

श्रीमान्, मैं आप के माध्यम से कुछ बातें यहां सदन में रखना चाह रहा हूं कि विलम्ब करने से क्या स्थिति होती है। एक मामला असम का, एक कैबिनट मिनिस्टर जोकि हमारे फखरुद्दीन अली अहमद साहब उस समय में थे, उन की अपनी भूमि का सवाल और उस सवाल पर जो उन्होंने रिटर्न दे दिये, उस के चार साल के बाद उन्होंने ऐलान किया कि हम से भूमि न ली जाय और उस चार साल के अन्दर 556 बीघा जमीन कैंटूनमेंट के लिए अर्जित की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं ठीक तो नहीं कह सकता लेकिन . .

अध्यक्ष महोदय: यह बात आप अलग में बाद में कीजियेगा। मौजूदा इस कॉलिंग अटेंशन मोशन में यह नहीं आती है:

श्री भोगेन्द्र झा: विलम्ब से क्या नुकसान होता है यह मैं कहना चाह रहा था। मैं उसमें पूरा नहीं जाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय: यह जो आप ने दिया हुआ है जब आयेगा तब देखा जायेगा लेकिन माननीय सदस्य आउट आफ वे न जाय।

श्री भोगेन्द्र झा: मैं विलम्ब के बारे में कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: जो आप ने दिया हुआ है वह एक अलहदा चीज है।

श्री भोगेन्द्र झा: सुरक्षा मन्त्रालय के जवाब में मुझे यह कहा गया है कि उस कैंटूनमेंट के लिए करीब 34–35 लाख रुपया लगा है। अब उस में किस का कितना हिस्सा है यह मैं नहीं जानता हूं लेकिन यह विलम्ब के चलते इतना पैसा लगा। जाहिर है कि हदबन्दी अगर लागू हो जाती तो केन्द्रीय सरकार का यह पैसा नहीं लग सकता था।

असम के बारे में मुझे खबर है अभी मन्त्री महोदय ने स्टोन क्वारी के बारे में अपने वक्तव्य में बतलाया कि स्टोन क्वारी के नाम पर वहां के भूमि सीमा कानून में बाधा डाली जा रही है। मैं यह बात रखना चाह रहा हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार इस तरह का विलम्ब करके राज्य सरकारों को व देश के बड़े भूस्वामियों को इस बात के लिए उकसावा

रही दे रहे, है कि वह भूमि हद बन्दी कानून का खोतघात कर दे और उसे निरर्थक बना दें ? इस दरमियान अपनी जमीन का जिस किसी के नाम हो सके जाल फरेब करके फरोख्त कर दें ताकि दरअसल सारी जमीन उन के पास ही रह जाय। मैं कहना चाह रहा हूं कि बड़ी बहुमी कीमत इसे चुका ही पड रही है। अभी हाल 30 नवम्बर को बड़े भूमि स्वामियों ने जोकि अब सब के सब लगभग शासक कांग्रेस में आ रहे हैं, शायद एक आध ही बाहर रह गये होंगे 10 महीने पहले सब आ गये हैं। परिणाम यह देखने में आया है कि हमारे 8 राजनीतिक कार्यकर्ता घेर कर कत्ल कर दिये गये हैं और वह कत्ल करने वाले सभी भूस्वामी हैं। मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सेनवेरा की बात कह रहा हूं जहां कि उनको घेर कर कत्ल कर दिया गया। कत्ल करवाने में बिहार के डिप्टी स्पीकर हैं जोकि 10 महीने पहले तक संगठन कांग्रेस में थे अब शासक पार्टी में हैं

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बातों के लिए जिनका कि कांग्रेस से कोई वास्ता नहीं उन्हें इस में माननीय सदस्य को नहीं लाना चाहिये।

श्री भोगेन्द्र झा : वह सिर्फ इसलिए कहा कि नुकसान हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : जो चीजें बाहर हुई हैं और फिर इस कांग्रेस से कोई उनका वास्ता नहीं है उन्हें इस में नहीं लाना चाहिये।

श्री भोगेन्द्र झा : वह मैंने इसलिए केवल जिक्र कर दिया कि इस से नुकसान हो रहा है।

अधिक जमीन रखना या खत्म हो जाने से कोई मतलब नहीं रहता है। जब इस से देश का वातावरण बदल रहा है, भूमिहीन समझने जा रहे हैं कि उन्हें भूमि जोतने के लिए मिलने में अभी विलम्ब हो रहा है। फिर गत चुनाव में हम ने देखा कि कांग्रेस के टूटने से जो एक आशा दिलाई गई थी वह निराशा साबित हुई हमें धोखा दिया गया और इसलिए उस कांग्रेस के टूटने का कोई राजनैतिक महत्व नहीं रह गया है। क्या यही कृषि मन्त्री जी का मतलब है कि देश में यह असर हम दें कि दो टुकड़े हम कर चुके और अभी उसका हम और खण्डन करने जा रहे हैं।

आन्ध्र बिहार राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और असम के बारे में जो उन्होंने कहा ओवर्स की बात कही तो क्या वह कहेंगे कि कितने दिन के अन्दर वह देते हैं ? उन का ऐलान था कि 31 दिसम्बर के पहले तक वह कानून पास हो जायगा तो जो उनके पास अभी आना बाकी है क्या वह उनके लिए एक अवधि बतला सकेंगे कि कितने दिन, कितना समय रखना चाहिए जिसके कि भीतर स्वीकृति दे देंगे 6 महीने या साल तक इसे कर देंगे ?

तीसरी बात उन्होंने यह कही है कि राष्ट्रीय नीति के बारे में निर्णय लेने पर वह कांग्रेस कार्यकारिणी की

[श्री योगेन्द्र झा]

उस में निर्णय लिया गया था। यह तय किया गया था कि 10 और 18 एकड के बीच में 10 एकड़ के नजदीक रहेंगे, 18 एकड़ के पास नही जायगे। लेकिन आम धारणा यह हो गई है कि 18 के नजदीक रहेंगे, 10 एकड़ के नजदीक जायेंगे ही नहीं। क्या इस के बारे मे कोई हिदायत जा रही है कि हदबन्दी की अधिकतम सीमा 10 और 18 के बीच मे 10 के पास रहे या 18 के पास रहे? क्या इसके लिये समय का भी कोई माप दण्ड रखा जा रहा है कि कितने समय मे यह किया जाये, जिस मे उससे अधिक विलम्ब न किया जा सके?

मैं आप के जरिये इतना ही कहना चाहता हू कि बिहार के बारे मे 13 दिसम्बर को जवाब मिला है जिस मे कृषि मन्त्री ने कहा है कि.

"The Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) Amendment Bill, 1972. It is still under examination in consultation with the administratively concerned Ministry of the State Government."

उस समय का जवाब यह था, अब भी कुछ कह रहे हैं, कोई निश्चित बात नही कह रहे हैं। मुझे शक है, बल्कि मेरी खबर भी है कि जो हदबन्दी नही हो रही है और जो इतना विलम्ब हो रहा है वह कृषि मन्त्रालय के जरिये हो रहा है। आम तौर से गृह मन्त्रालय स्वीकृति प्रदान करने का काम करता है। मैं जानना चाहता हू कि क्या गृह मंत्रालय के पास कृषि मंत्रालय ने सब कुछ भेज दिया है? अगर नही भेजा है तो कृषि मंत्रालय किस तरह से इस पर बैठा हुआ है और सारे देश की नीति को आघात पहुंचा रहा है? यह क्यों हो रहा है?

SHRI F. A. AHMED: Mr. Speaker, Sir, I have already indicated the action taken by the Central Ministries so far as the land ceiling laws are concerned. I have also indicated in my reply that after the recommendations made by the Chief Ministers' Conference, certain guidelines were drawn up and they were forwarded to the State Governments for the implementation of those guidelines.

So far as the question of the four States which has been raised by the hon. Member is concerned, I would like to make the position very clear. So far as Bihar is concerned, as soon as we received it from them, we went into the various provisions made by them. The matter was also considered by the Planning Commission and after we found that certain laws were not in conformity with the guidelines given by us, we sent for the local officers and the Ministers for a discussion, and after the discussions were held, we forwarded those comments of ours in order to get the assent from them that they will bring the necessary amendments in order to bring it in conformity with the guidelines given. After that, the Bill was received only recently, and as I have informed the hon. Member, within a very short time it will receive the assent.

SHRI BHOGENDRA JHA: One year may be a short time?

SHRI F. A. AHMED: This Bill has gone from my Ministry to the Home Ministry for the purpose of obtaining the assent of the President and I think within a day or two the assent will be received and the Bill will be sent to Bihar.

Similarly, out of the four States which have been mentioned by the hon. Member, we are still awaiting certain replies from the Maharashtra Government. As soon as the replies are received that will also be disposed of. It is our effort that before the year is out, all legislation will be passed, but I may point out in this connection that so far we have received no information from Rajasthan and Mysore. I understand that so far as Rajasthan is concerned, the Bill has been referred to the Select Committee and after it has been disposed of by the Select Committee necessary action will be taken by the Rajasthan legislature in order to pass that Bill, and whenever it is sent to us we shall dispose of it as soon as possible.

So far as Mysore is concerned, there also action is being taken by the Mysore Government. Now, some other States like West Bengal, Assam, etc., have already passed a law, but Assam has not sent the Bill We have written to all the States for the purpose of forwarding the Bills if any assent is necessary. We shall also give the assent as early as possible.

SHRI BHOGENDRA JHA: Whether the Assam Government has been asked to clarify its position about the quarry-owners and on that pretext, the Land Ceiling Act is being delayed.

SHRI F. A. AHMED: The Assam Government has not come to us. We do not know what are the details. We have written to them to send the Bill to us. As soon as it is received by us we shall go into the question and see that necessary action is taken according to the guidelines decided upon by the Central Government.

As far as the personal reference which has been made by the hon. Member is concerned, I would like to point out that whatever was acquired was within the ceiling according to which our family was entitled to hold the land.

I have made the whole position clear to the hon. Member and I hope he will be satisfied with that. I have given him a detailed reply about that.

12.25 hrs.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampore): I want only one clarification. I gave five times call attention notices on the bombing in Viet-Nam. Today, please excuse me for raising this, this is the last day. I want information from you: what is the basis of accepting a call attention? I call the attention You admitted Mr. Jha's motion; today evening we are discussing land reform Bill. But for this bombing we gave several call attention notices It is a shame on the part of the Government. Why have they not come forward with condemnation against bombing in Viet Nam? You kindly ask the Minister to make a statement on the escalation of the war in Viet-Nam and the American bombing in Viet-Nam .(*Interruptions*) Today there is a discussion on land reforms...(*Interruptions*)

SOME HON. MEMBERS *rose*

MR. SPEAKER: I am sorry; I have not allowed anybody to speak now. In this very session the question of Viet-Nam came either in the form of 377 or in the form of a statement. The rules are.... (*Interruptions*). I cannot compete with you.